60. आय-कर अधिनियम की धारा 245ज के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं, 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— नई धारा 245जक और धारा 245जकक का अंतःस्थापन।

"245जक. (1) जहां,— समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाही का उपशमन होगा।

(i) धारा 245ग के अधीन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए किसी आवेदन को, धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन नामंजूर किया गया है; या

(ii) धारा 245ग के अधीन किए गए किसी आवेदन को, धारा 245घ की उपधारा (2क) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए या उपधारा (2घ) के अधीन आगे और कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है; या

(iii) धारा 245ग के अधीन किए गए किसी आवेदन को धारा 245घ की उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित किया गया है; या

(iv) धारा 245ग के अधीन किए गए किसी अन्य आवेदन के संबंध में धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश धारा 245घ की उपधारा (4क) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर पारित नहीं किया गया है,

वहां समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का विनिर्दिष्ट तारीख को उपशमन हो जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "विनिर्दिष्ट तारीख" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) खंड (i) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में, वह तारीख, जिसको आवेदन नामंजूर किया गया था;

(ख) खंड (ii) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में, 31 जुलाई, 2007;

(ग) खंड (iii) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में, उस मास का अंतिम दिन, जिसको आवेदन अविधिमान्य घोषित किया गया था;

(घ) खंड (iv) में निर्दिष्ट आवेदन के संबंध में, वह तारीख, जिसको धारा 245घ की उपधारा (4क) में विनिर्दिष्ट समय या अवधि समाप्त हो जाती है ।

(2) जहां समझौता आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही का उपशमन हो जाता है वहां, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या कोई अन्य आय-कर प्राधिकारी, जिसके समक्ष कार्यवाही आवेदन करने के समय लंबित थी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मामले का इस प्रकार निपटारा करेगा मानो धारा 245ग के अधीन आवेदन नहीं किया गया हो ।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या अन्य आय-कर प्राधिकारी समझौता आयोग के समक्ष निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई सभी सामग्रियों और जानकारी या समझौता आयोग द्वारा उसके समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम में, की गई जांच या अभिलिखित साक्ष्य के परिणामों का इस प्रकार उपयोग करने के लिए हकदार होगा, मानो ऐसी सामग्री, जानकारी, जांच या साक्ष्य निर्धारण अधिकारी या अन्य आय-कर प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए हों या उसके समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम में उसके द्वारा की गई या अभिलिखित किए गए हैं।

(4) धारा 149, धारा 153, धारा 153ख, धारा 154, धारा 155, धारा 158खङ और धारा 231के अधीन समय-सीमा के प्रयोजनों के लिए और, यथास्थिति, धारा 243 या धारा 244 या धारा 244क के अधीन ब्याज के संदाय के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (2) के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने के लिए धारा 245ग के अधीन समझौता आयोग को किए गए आवेदन की तारीख से ही आरंभ होने वाली और उपधारा (1) में निर्दिष्ट "विनिर्दिष्ट तारीख" को समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित किया जाएगा ; और जहां निर्धारिती कोई फर्म है, वहां धारा 186 की उपधारा (1) के अधीन फर्म के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए समय-सीमा के प्रयोजनों के लिए उपरोक्त अवधि को इसी प्रकार अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

245जकक. जहां धारा 245ग के अधीन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए किसी आवेदन को धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन नामंजूर किया जाता है या धारा 245ग के अधीन किए गए किसी आवेदन को धारा 245घ की उपधारा (2क) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए मंजूर नहीं किया जाता है या धारा 245घ की उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित किया जाता है या धारा 245घ की उपधारा (2घ) के अधीन आगे और कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है अथवा धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश धारा 245घ की उपधारा (4क) के अधीन उपबंधित समय या अवधि के भीतर पारित नहीं किया गया है, वहां निर्धारण अधिकारी, आवेदन करने की तारीख को या उससे पूर्व या समझौता आयोग के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान संदत्त कर और ब्याज के लिए प्रत्यय मंजूर कर सकेगा ।"। कार्यवाहियों के उपशमन की दशा में संदत्त कर के लिए प्रत्यय।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 245ट के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2007 से रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 245ट के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

"245ट. (1) जहां,— समझौते के लिए पश्चात्वर्ती आवेदन का वर्जन।

(i) धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन पारित समझौता आदेश में धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति पर, शास्ति के अधिरोपण के लिए उपबंध इस आधार पर किया जाता है कि उसने अपनी आय की विशिष्टियों को छिपाया है; या

(ii) किसी मामले के संबंध में उक्त उपधारा (4) के अधीन समझौता आदेश पारित करने के पश्चात् ऐसा व्यक्ति उस मामले के संबंध में, अध्याय 22 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है; या

(iii) ऐसे व्यक्ति का मामला, 1 जून, 2002 को या उससे पूर्व समझौता आयोग द्वारा निर्धारण अधिकारी को वापस भेजा गया था,

वहां वह किसी अन्य मामले के संबंध में, धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं होगा ।

(2) जहां किसी व्यक्ति ने, 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 245ग के अधीन कोई आवेदन किया है और यदि ऐसे आवेदन को धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए मंजूर किया गया है वहां ऐसा व्यक्ति बाद में धारा 245ग के अधीन कोई आवेदन करने के लिए हकदार नहीं होगा ।"।

धारा 246क का संशोधन।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 246क में, 1 जून, 2007 से,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (जक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(जख) धारा 206ग की उपधारा (6क) के अधीन किया गया आदेश ;";

(ii) खंड (ञ) के उपखंड (आ) में, "धारा 271क," शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात्, "धारा 271ककक," शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 जून, 2007 से पूर्व धारा 206ग की उपधारा (6क) के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध किसी व्यतिक्रमी निर्धारिती द्वारा फाइल की गई प्रत्येक अपील, इस धारा के अधीन फाइल की गई समझी जाएगी ।"।

धारा 248 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 248 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा, 1 जून, 2007 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय मामलों में कर की कटौती करने के दायित्व से इंकार करने वाले व्यक्ति द्वारा अपील।

"248. जहां किसी करार या अन्य ठहराव के अधीन धारा 195 के अधीन ब्याज से भिन्न किसी आय पर कटौती योग्य कर ऐसे व्यक्ति द्वारा वहन किया जाना है, जिसके द्वारा आय संदेय है और ऐसा व्यक्ति, केंद्रीय सरकार के खाते में ऐसे कर का संदाय कर देने के पश्चात्, यह दावा करता है कि ऐसी आय पर किसी कर की कटौती किया जाना अपेक्षित नहीं था, वहां वह इस घोषणा के लिए आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा कि ऐसी आय पर कोई कर कटौती-योग्य नहीं था ।" ।

धारा 249 का संशोधन।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 249 की उपधारा (2) के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड, 1 जून, 2007 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) जहां अपील धारा 248 के अधीन फाइल की जाती है, वहां कर के संदाय की तारीख, अथवा"।

धारा 253 का संशोधन।

65. आय-कर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) के खंड (ग) में, "धारा 12कक" शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 12कक के अधीन या धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (vi) के अधीन" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक, 1 जून, 2007 से रखे जाएंगे ।

धारा 254 का संशोधन।

66. आय-कर अधिनियम की धारा 254 की उपधारा (2क) के परंतुकों के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक, 1 जून, 2007 से रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु अपील अधिकरण, निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन के गुणागुण पर विचार करने के पश्चात् धारा 253 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपील से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में, ऐसे आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की अवधि के लिए रोक आदेश पारित कर सकेगा और अपील अधिकरण उस आदेश में विनिर्दिष्ट रोक की उक्त अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा :

परंतु यह और कि जहां ऐसी अपील का निपटारा रोक आदेश में यथाविनिर्दिष्ट रोक की उक्त अवधि के भीतर इस प्रकार नहीं किया जाता है वहां, अपील अधिकरण निर्धारिती द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर और यह समाधान हो जाने पर कि अपील का निपटारा करने में विलंब निर्धारिती के कारण नहीं हुआ है, रोक की अवधि को विस्तारित कर सकेगा या ऐसी और अवधि या अवधियों के लिए रोक आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे, किंतु आरंभिक रूप से अनुज्ञात अवधि और इस प्रकार विस्तारित या अनुज्ञात अवधि या अवधियों का योग किसी भी दशा में तीन सौ पैंसठ दिन से अधिक नहीं होगा और अपील अधिकरण इस प्रकार विस्तारित या अनुज्ञात रोक की अवधि या अवधियों के भीतर अपील का निपटारा करेगाः

परंतु यह भी कि यदि ऐसी अपील का निपटारा पहले परंतुक के अधीन अनुज्ञात अवधि या दूसरे परंतुक के अधीन विस्तारित या अनुज्ञात अवधि या अवधियों के भीतर इस प्रकार नहीं किया जाता है तो रोक आदेश ऐसी अवधि या अवधियों की समाप्ति के पश्चात् निष्प्रभाव हो जाएगा ।"।

धारा 271 का संशोधन।

67. आय-कर अधिनियम की धारा 271 की उपधारा (1) में,—

(i) स्पष्टीकरण 4 के खंड (ख) में, "निर्धारित कुल आय पर कर अभिप्रेत है" शब्दों के स्थान पर, "धारा 148 के अधीन अग्रिम कर, स्रोत पर कटौती किए गए कर, स्रोत पर संगृहीत कर और सूचना जारी करने से पूर्व संदत्त स्वतःनिर्धारण कर से घटाकर आई निर्धारित कुल आय पर कर अभिप्रेत है" शब्द, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2003 से रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण 5 के आरंभिक भाग में, "धारा 132 के अधीन तलाशी" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "1 जून, 2007 से पूर्व धारा 132 के अधीन ली गई तलाशी" शब्द और अंक 1 जून, 2007 से रखे जाएंगे;

(iii) स्पष्टीकरण 5 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण 5क— जहां 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन आरंभ की गई तलाशी के प्रक्रम में निर्धारिती,—

(i) किसी धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज का (जिसे इस स्पष्टीकरण में इसके पश्चात् आस्तियां कहा गया है) स्वामी पाया जाता है और निर्धारिती यह दावा करता है कि ऐसी आस्तियां उसके द्वारा ऐसे किसी पूर्ववर्ष के लिए अपनी आय का उपयोग (पूर्णतः या भागतः) करके अर्जित की गई है; या

(ii) किसी लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या संव्यवहारों में किसी प्रविष्टि के आधार पर कोई आय का स्वामी पाया जाता है और यह दावा करता है कि लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या अन्य संव्यवहारों में ऐसी प्रविष्टि ऐसे किसी पूर्ववर्ष के लिए उसकी आय (पूर्णतः या भागतः) प्रदर्शित करती है,

जो तलाशी की तारीख से पूर्व समाप्त हो गया है और ऐसे वर्ष के लिए आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख समाप्त हो गई है तथा निर्धारिती ने विवरणी फाइल नहीं की है तब इस बात के होते हुए कि ऐसी आय तलाशी की तारीख को

या उसके पश्चात् दी गई आय की किसी विवरणी में उसके द्वारा घोषित की गई है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस धारा की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन शास्ति के अधिरोपण के प्रयोजनों के लिए अपनी आय की विशिष्टियों को छिपाया है या ऐसी आय की गलत विशिष्टियां दी हैं ।"।

68. आय-कर अधिनियम की धारा 271कक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 271ककक का अन्तःस्थापन।

"271ककक. (1) निर्धारण अधिकारी, इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे किसी मामले में, जहां तलाशी 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन आरंभ की गई है, वहां निर्धारिती उसके द्वारा संदेय कर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की अप्रकटित आय के दस प्रतिशत की दर से संगणित राशि का, शास्ति के रूप में संदाय करेगा । जहां तालाशी आरंभ की गई है वहां शास्ति।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी, यदि निर्धारिती,—

(i) तलाशी के दौरान धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन किसी कथन में अप्रकटित आय को स्वीकार करता है और उस रीति को, जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न की गई निर्दिष्ट करता है;

(ii) उस रीति का प्रमाण देता है, जिसमें अप्रकटित आय व्युत्पन्न की गई थी; और

(iii) अप्रकटित आय की बाबत ब्याज, यदि कोई हो, के साथ कर का संदाय करता है।

(3) धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपबंधों के अधीन कोई शास्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट अप्रकटित आय की बाबत निर्धारिती पर उद्गृहीत या अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(4) धारा 274 और धारा 275 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा में निर्दिष्ट शास्ति के संबंध में लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अप्रकटित आय" से अभिप्रेत है,—

(i) कोई धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या लेखाबहियों में किसी प्रविष्टि या अन्य दस्तावेजों या संव्यवहारों से, जो धारा 132 के अधीन तलाशी के दौरान पाए जाते हैं, प्रदर्शित, पूर्णतः या भागतः विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की कोई आय, जिसे,—

(अ) तलाशी की तारीख को या उससे पूर्व ऐसे पूर्ववर्ष के संबंध में सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों में अभिलिखित नहीं किया गया है ; या

(आ) तलाशी की तारीख से पूर्व मुख्य आयुक्त या आयुक्त को अन्यथा प्रकट नहीं किया गया है ; या

(ii) विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष के संबंध में, सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों में अभिलिखित किसी व्यय की बाबत किसी प्रविष्टि द्वारा प्रदर्शित, पूर्णतः या भागतः विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की कोई आय, जिसे मिथ्या पाया जाता है और इस प्रकार नहीं पाया जाता, यदि तलाशी न ली गई होती;

(ख) "विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष" से वह पूर्ववर्ष अभिप्रेत है,—

(i) जो तलाशी की तारीख से पूर्व समाप्त हो गया है किंतु उस वर्ष के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की तारीख तलाशी की तारीख से पूर्व समाप्त नहीं हुई है और निर्धारिती ने उक्त तारीख से पूर्व पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी नहीं दी है; या

(ii) जिसमें तलाशी ली गई थी ।'।

69. आय-कर अधिनियम की धारा 292ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अक्तूबर, 1975 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 292ग का अंतःस्थापन।

"292ग. जहां कोई लेखाबहियां, अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज, किसी तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति के कब्जे में या नियंत्रण में पाई जाती हैं या है, वहां इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में यह उपधारणा की जाएगी कि,— आस्तियों, लेखा-बहियों आदि के बारे में उपधारणा।

(i) ऐसी लेखाबहियां, अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज ऐसे व्यक्ति की हैं या उससे संबंधित हैं;

(ii) ऐसी लेखाबहियां और अन्य दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु सत्य हैं; और

(iii) हस्ताक्षर और ऐसी लेखाबहियों और अन्य दस्तावेजों का प्रत्येक अन्य भाग, जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है या उसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह माना जा सकता है कि वे किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हैं या उसके हस्तलेख में हैं, उसी व्यक्ति के हस्तलेख में हैं और स्टांपित, निष्पादित या अनुप्रमाणित किसी दस्तावेज की दशा में यह माना जा सकेगा कि वह उस व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से स्टांपित और निष्पादित या अनुप्रमाणित किया गया था जिसके द्वारा उसका इस प्रकार निष्पादित या अनुप्रमाणित किया जाना तात्पर्यित है ।"।

70. आय-कर अधिनियम की धारा 295 की उपधारा (2) में, खंड (ङङख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जून, 2006 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात्:— धारा 295 का संशोधन।

"(ङङखक) वे दस्तावेज, विवरण, रसीदें, प्रमाणपत्र या संपरीक्षित रिपोर्टें, जो विवरणी के साथ नहीं दी जा सकेंगी, किन्तु निर्धारण अधिकारी के समक्ष धारा 139ग के अधीन मांग किए जाने पर प्रस्तुत की जाएंगी;

(डडखख) उस वर्ग या वर्गों के व्यक्ति, जिनसे इलेक्ट्रानिक रूप में आय की विवरणी देना अपेक्षित होगा ; इलेक्ट्रानिक रूप में उक्त विवरणी दिए जाने का प्ररूप और रीति ; वे दस्तावेज, विवरण, रसीदें, प्रमाणपत्र या रिपोर्टें, जो इलेक्ट्रानिक रूप में और कंप्यूटर संसाधन या इलेक्ट्रानिक अभिलेख से विवरणी के साथ नहीं दी जाएंगी, जिनमें ऐसी विवरणी धारा 139घ के अधीन पारेषित की जा सकेगी;"।

धारा 296 का संशोधन।

71. आय-कर अधिनियम की धारा 296 में, 1 जून, 2007 से "धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) के अधीनजारी की गई प्रत्येक अधिसूचना" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, "1 जून, 2007 से पहले धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

द्वितीय अनुसूची का संशोधन।

72. आय-कर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में, 1 अप्रैल, 2008 से,—

(क) नियम 60 के उपनियम (1) के खंड (क) में, "पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए एक सही एक बटा चार प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) नियम 68क के उपनियम (3) में, "छह प्रतिशत प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए आधा प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ।

चतुर्थ अनुसूची का संशोधन।

73. आय-कर अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के भाग क में,—

(i) नियम 3 के उपनियम (1) में,—

(क) परंतुक में, "31 मार्च, 2007" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2008" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि पहले परंतुक की कोई बात किसी स्थापन की भविष्य निधि को लागू नहीं होगी, जिसकी बाबत केंद्रीय सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना जारी कर दी गई है ।"; 1952 का 19

(ii) नियम 4 के खंड (डक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(डक) निधि, ऐसे स्थापन की निधि होगी, जिसे कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उपधारा (3) के उपबंध लागू होते हैं या ऐसे स्थापन की निधि होगी जिसे उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) के अधीन केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है और ऐसा स्थापन उस धारा में वर्णित किसी स्कीम के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट अभिप्राप्त करेगा ;"। 1952 का 19